फर्द अहकाम

कृष्ण **बनाम** लक्ष्मण

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या .....63...../2023 धा. 45 T1

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23.12.25	वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 27.01.26 को पेश हो।
	27.1.26	वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 10.2.26 को पेश हो।
	10.2.26	वकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 10.3.26 को पेश हो।
	10/03/26	पत्रावली पेश। प्रार्थना पत्र T.I. पर वादी व उपस्थित पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पक्षों को तन्सीख किया गया। मूल वाद तथ्यों व साक्ष्य निष्पक्षता से पूर्व में न्यायालय द्वारा अस्थाई T.I. जारी है। अतः पूर्व में हमारे न्यायालय द्वारा अस्थाई T.I. दिनांक 17/03/23 से उभय पक्षगण को पाबन्द किया जाता है कि मूलवाद का फैसला होने तक प्रार्थना पत्र विवरण के बिन्दु 02 में वर्णित विवादग्रस्त अराजीपात के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो कार डायिल डफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)